संख्या–सम्ब0–958 / सत्तर–6–2011–2(655) / 2011

प्रेषक,

अशोक कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 09 मई, 2012

विषयः–पन्ना महाविद्यालय कुशहॉ ब्राम्हण, भीमपुरा नं0–1, बलिया को बी0एड0 पाठ्यक्रम की सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–कु0स0–सम्बद्धता / 06 / 285 / 2011, दिनांक 15–11–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन पन्ना महाविद्यालय कुशहॉ ब्राम्हण, भीमपुरा नं0–1, बलिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01–07–2012 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा– निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002टीसी, दिनांक 16–11–2005 एवं शासनादेश संख्या–5125 / 70–2–2005–2(166) / 2005, दिनांक 21–10–2005 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जाएगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

क्रमशः...........

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5. विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने तथा अध्यापकों/ विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करते हुए ही आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. यदि प्रश्नगत मामले में एन0बी0सी0 का प्रमाणपत्र प्राईवेट एजेन्सी से प्राप्त है अथवा सक्षम स्तर का प्रमाणपत्र नहीं है, उनमें यथास्थिति लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सक्षम अधिकारी (अधि0 अभियन्ता) का प्रमाणपत्र और अग्निशमन का प्रमाणपत्र अद्यतन नहीं है अथवा प्रमाणपत्र नहीं है, तो उनमें अग्निशमन का नवीनतम (वर्ष 2012 तक का) प्रमाणपत्र महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20–05–2012 तक प्राप्त कर लिया जायेगा, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या–सम्ब0–958(1)/सत्तर–6–2011–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, 20/198, कावेरी पथ नियर मानसरोवर स्टेडियम, मानसरोवर, जयपुर।
5. प्रबन्धक, पन्ना महाविद्यालय कुशहाँ ब्राम्हण, भीमपुरा नं0–1, बलिया।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com